

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव

संस्था का नाम— J P PHARMACY COLLEGE, JAUNPUR

पत्रांक:— प्राशिप/परिषद/2024/1487

लखनऊ:दिनांक: 07/06/2024

विषय:— सत्र 2024-25 हेतु संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/सहमति (Consent of Affiliation) निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप द्वारा सत्र 2024-25 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/सहमति (Consent of Affiliation) निर्गत किये जाने के संबंध में प्राविधिक शिक्षा परिषद के यू-राईज पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 शासनादेश संख्या: 2/2024/आई465018/2024/16-3099/156/2019 लखनऊ: दिनांक: 05 जनवरी, 2024 में डिप्लोमा स्तरीय नए तकनीकी संस्थान (डिप्लोमा इन फार्मसी सहित) खोलने, नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी इत्यादि हेतु NOC/Consent of Affiliation/Affiliation प्रदान किये जाने संबंधी प्रक्रिया में उल्लिखित है:—

(1) नियामक संस्थान के अद्यतन अप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक में उल्लिखित गाइडलाइन के अनुसार डिप्लोमा सेक्टर हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा NOC/Consent of Affiliation/Affiliation प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। NOC/Consent of Affiliation/Affiliation प्रदान करने की समस्त कार्यवाही ऑनलाइन की जायेगी। भौतिक रूप से न तो आवेदन प्राप्त किया जायेगा और न ही NOC/Consent of Affiliation/Affiliation निर्गत किया जायेगा।

(2) डिप्लोमा स्तरीय नया संस्थान खोले जाने, नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने, प्रवेश क्षमता में वृद्धि/कमी, संस्था क्लोजर इत्यादि हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा यू-राईज पोर्टल पर आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए दिनांक 08 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

(3) आवेदक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी, द्वारा NOC/Consent of Affiliation/Affiliation हेतु पोर्टल पर प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किये गये पंजीकरण शुल्क का भुगतान करते हुए निर्धारित प्रारूप पर सुसंगत सूचनाओं/अभिलेखों सहित अपना आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी के पास नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उपयुक्त भूमि संबंधी दस्तावेज, बिल्डिंग प्लान एवं संकल्प पत्र (Resolution Letter) होना चाहिए।

(4) आवेदक संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप पर सूचनाओं/अभिलेखों के साथ ही 100/- ₹ के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि "यदि निर्धारित प्रारूप पर दी गयी सूचना/जानकारी असत्य एवं तत्संलग्न अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा Consent of Affiliation निरस्त करने एवं मेरे (आवेदक संस्था के प्रबन्धक/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी) विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं (आवेदक संस्था के प्रबन्धक/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी) स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा (समितियाँ और उपसमितियाँ, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के विनियम-12(2) के प्राविधानानुसार प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा स्कूटनी समिति का गठन कर यू-राईज पोर्टल पर प्राप्त आपके आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं एवं संलग्न अभिलेखों की स्कूटनी की गई।

स्कूटनी समिति द्वारा स्वीकार किये गए आवेदन पत्र को यू राइज पोर्टल के माध्यम से सम्बंधित जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया।

सम्बंधित जिलाधिकारी स्तर से यू-राइज पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन संस्तुति के आलोक में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा स्तरीय संस्थान खोले जाने हेतु आपकी संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/सहमति (Consent of Affiliation) प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतीकात्मक हैं, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर मान्य होगा।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवागातार्थ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
3. निदेशक, आई०आर०डी०टी०, कानपुर।

4. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एन०बी०सी०सी०, सेंटर तृतीय तल, प्लॉट नं०2, कम्युनिटी सेंटर, माँ आनंदमई मार्ग, ओखला फेज -1, नयी दिल्ली -110020

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव AJIT KUMAR MISHRA
I am approving this document
BTE-UTTAR PRADESH
07.06.2024 16:38